महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद,उ0प्र0।

पत्रांक: 7E–सामु0सह0 / एस0एम0सी0प्रशि0 / 13678 / 2022–23 दिनांक: 29.3. 2023

विषयः–शैक्षिक सत्र 2022–23 में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सचिव का ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

शैक्षिक सत्र 2022–23 में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सचिव (प्रति विद्यालय 02 प्रतिभागी) का बी0आर0सी0 स्तर (ब्लॉक स्तर) पर जनपहल प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना है। विगत वर्ष राज्य स्तर पर दिनांक 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2021 को तीन बैचों में प्रत्येक जनपद से नामित 02 अध्यापकों को एस0एम0सी0 सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये गये थे। उक्त ब्लॉक स्तरीय एस0एम0सी0 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सचिव का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स से कराया जाए। जिसका मुख्य उद्देश्य व प्रशिक्षण कार्ययोजना निम्नवत् हैः–

प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः–

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वयों का निर्वाहन अधिनियम के अनुरूप कर सकें।
2. बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना एवं गठन, विद्यालय विकास योजना तैयार कर सकें।
3. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं प्रबन्धन में योगदान दिया जाना है। विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा मासिक बैठक, एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर, दिव्यांग बच्चे, हाउस होल्ड सर्वे, विशेष प्रशिक्षण, निपुण भारत मिशन, गुणवत्ता शिक्षा एवं बालिका शिक्षा के अंर्न्तगत किये जा रहे कार्यक्रम, ऑपरेशन कायाकल्प / स्वच्छ भारत अभियान, जन पहल रेडियो कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना एवं स्कूल में बच्चों की सुरक्षा हेतु गाईडलाइन की जानकारी, अभिलेखों तथा वित्तीय अभिलेखों का रखरखाव, विद्यालय प्रबन्ध समिति का पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य विभागों से समन्वय किया जाना है।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

ब्लॉक स्तरीय गैर आवासीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्ययोजना–

स्तर	प्रतिभागी व उनकी संख्या	शैक्षिणिक सामग्री	संदर्भदाता	प्रशिक्षण का अनुश्रवण व मूल्यांकन
विकास खण्ड स्तर	विकास खण्ड के समस्त परिषदीय विद्यालयों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव (प्रति विद्यालय 02 प्रतिभागी)	जनपहल प्रशिक्षण मॉड्यूल, एस0एम0सी0 प्रशिक्षण पर आधारित फिल्म एवं पी0पी0टी0 आदि	राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स	जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति

नवगठित एस0एम0सी0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव के प्रशिक्षण हेतु जनपदों को धनराशि **रू0 53464400**/–(रूपये पॉच करोड़, चौंतीस लाख चौसठ हजार, चार सौ मात्र) की जारी लिमिट का विवरण निम्नवत् है:–

ब्लॉक स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के प्रशिक्षण हेतु जनपदों की लिमिट धनराशि

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल विकास खण्डों की संख्या	कुल विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय दो प्रतिभागी (प्रति प्रतिभागी जल पान एवं नाश्ते आदि हेतु रू0 150 मात्र)	प्रति विद्यालय दो प्रतिभागी (प्रति प्रतिभागी पेन ,पैड, फोल्डर आदि हेतु रू0 50 मात्र)	जनपदवारकुल प्रशिक्षणों की संख्या	जनपदवार कुल प्रशिक्षणों हेतु लिमिट धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AGRA	16	2508	752400	250800	16	1003200
2	ALIGARH	13	2128	638400	212800	13	851200
3	ALLAHABAD	21	2874	862200	287400	21	1149600
4	AMBEDKAR NAGAR	10	1590	477000	159000	10	636000
5	AMETHI	13	1585	475500	158500	13	634000
6	AMROHA	7	1275	382500	127500	7	510000
7	AURAIYA	8	1266	379800	126600	8	506400
8	AZAMGARH	23	2723	816900	272300	23	1089200
9	BAGHPAT	6	532	159600	53200	6	212800
10	BAHRAICH	15	2818	845400	281800	15	1127200
11	BALLIA	18	2266	679800	226600	18	906400
12	BALRAMPUR	10	1823	546900	182300	10	729200
13	BANDA	9	1754	526200	175400	9	701600
14	BARABANKI	16	2651	795300	265100	16	1060400
15	BAREILLY	16	2500	750000	250000	16	1000000
16	BASTI	15	2089	626700	208900	15	835600
17	BHADOI	7	897	269100	89700	7	358800
18	BIJNOR	12	2133	639900	213300	12	853200
19	BUDAUN	16	2173	651900	217300	16	869200
20	BULANDSHAHR	16	1874	562200	187400	16	749600
21	CHANDAULI	9	1194	358200	119400	9	477600
22	CHITRAKOOT	5	1260	378000	126000	5	504000
23	DEORIA	17	2134	640200	213400	17	853600
24	ETAH	9	1699	509700	169900	9	679600
25	ETAWAH	9	1489	446700	148900	9	595600
26	FAIZABAD	12	1800	540000	180000	12	720000
27	FARRUKHABAD	8	1580	474000	158000	8	632000

28	FATEHPUR	14	2141	642300	214100	14	856400
29	FIROZABAD	10	1865	559500	186500	10	746000
30	[illegible].B Nagar	4	515	154500	51500	4	206000
31	GHAZIABAD	5	455	136500	45500	5	182000
32	GHAZIPUR	17	2283	684900	228300	17	913200
33	GONDA	17	2629	788700	262900	17	1051600
34	GORAKHPUR	21	2524	757200	252400	21	1009600
35	HAMIRPUR	7	975	292500	97500	7	390000
36	HAPUR	4	507	152100	50700	4	202800
37	HARDOI	20	3465	1039500	346500	20	1386000
38	HATHRAS	8	1245	373500	124500	8	498000
39	JALAUN	10	1518	455400	151800	10	607200
40	JAUNPUR	22	2830	849000	283000	22	1132000
41	JHANSI	9	1461	438300	146100	9	584400
42	KANNAUJ	9	1464	439200	146400	9	585600
43	KANPUR DEHAT	10	1926	577800	192600	10	770400
44	KANPUR NAGAR	11	1787	536100	178700	11	714800
45	KASGANJ	7	1271	381300	127100	7	508400
46	KAUSHAMBI	8	1097	329100	109700	8	438800
47	KHERI	16	3122	936600	312200	16	1248800
48	KUSHINAGAR	14	2478	743400	247800	14	991200
49	LALITPUR	7	1360	408000	136000	7	544000
50	LUCKNOW	10	1626	487800	162600	10	650400
51	MAHARAJGANJ	13	1709	512700	170900	13	683600
52	MAHOBA	5	853	255900	85300	5	341200
53	MAINPURI	10	1912	573600	191200	10	764800
54	MATHURA	11	1549	464700	154900	11	619600
55	MAU	10	1219	365700	121900	10	487600
56	MEERUT	14	1081	324300	108100	14	432400
57	MIRZAPUR	13	1816	544800	181600	13	726400
58	MORADABAD	9	1417	425100	141700	9	566800
59	MUZAFFARNAGAR	10	959	287700	95900	10	383600
60	PILIBHIT	8	1512	453600	151200	8	604800
61	PRATAPGARH	18	2390	717000	239000	18	956000
62	RAE BARELI	19	2316	694800	231600	19	926400
63	RAMPUR	7	1607	482100	160700	7	642800
64	SAHARANPUR	12	1447	434100	144700	12	578800
65	SAMBHAL	8	1303	390900	130300	8	521200
66	SANT KABIR NAGAR	9	1254	376200	125400	9	501600
67	SHAHJAHANPUR	16	2737	821100	273700	16	1094800
68	SHAMLI	5	600	180000	60000	5	240000
69	SHRAWASTI	5	989	296700	98900	5	395600
70	SIDDHARTHNAGAR	14	2275	682500	227500	14	910000
71	SITAPUR	20	3535	1060500	353500	20	1414000
72	SONBHADRA	8	2070	621000	207000	8	828000

73	SULTANPUR	15	2081	624300	208100	15	832400
74	UNNAO	17	2722	816600	272200	17	1088800
75	VARANASI	9	1149	344700	114900	9	459600
	कुल	**881**	**133661**	**40098300**	**13366100**	**881**	**53464400**

वित्तीय निर्देशः–

- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जनपद को अवमुक्त धनराशि की लिमिट का विवरण उक्त तालिका के कॉलम सं0 08 में अंकित है।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि आवंटित लिमिट प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खाते में लिमिट जारी कराना सुनिश्चित करें।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी हेतु रू0 150/– की दर से जलपान एवं नाश्ते आदि तथा प्रति प्रतिभागी रू0 50/– की दर से पेन, पैड, फोल्डर आदि के लिये अनुमन्य है।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का व्यय खण्ड शिक्षा अधिकारी की देखरेख में किया जायेगा।
- धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया फाइनेंस एवम् प्रोक्योरमेण्ट मैन्युअल–2018 के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रशिक्षण सम्पन्न होने के उपरान्त उपभोग प्रमाण–पत्र एवं फोटोग्राफ्स/वीडियो आदि राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश–

- गत वर्ष राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण की कार्ययोजना/रूपरेखा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। इस हेतु जिला समन्वयक, सामु0सह0 द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की कार्ययोजना/रूपरेखा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 03 दिन पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक (सामु0सह0) को अवगत करायेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर एस0एम0सी0 के प्रशिक्षण में स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं से आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकता है। सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था/एन0जी0ओ0 को उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का धनराशि/भुगतान देय नहीं होगा।
- प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्थायें यथा– प्रशिक्षण सामग्री, बैनर, प्रशिक्षण स्थल की साफ–सफाई व साज–सज्जा, प्रतिभागियों को पूर्व सूचना, आदि की व्यवस्थायें प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये।
- जनपद को प्रशिक्षण की लिमिट प्राप्त होने के 03 कार्यदिवसों के भीतर ब्लॉक को आगणित धनराशि की लिमिट जारी करते हुए उन्हें सूचित किया जाये ताकि वे समस्त आवश्यक व्यवस्थायें ससमय सुनिश्चित करा सकें।
- राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा संदर्भित शैक्षिणिक सामग्रियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण में कोई अन्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया गया (सामग्री संलग्न)।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि ब्लॉकवार प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्टर, एल0ई0डी0 स्क्रीन, एवं माइक आदि की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाए।

प्रशिक्षण का अनुश्रवण

1. जनपद स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन करते हुए ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
2. ब्लॉक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण का सघन निरीक्षण/अनुश्रवण किया जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुश्रवण का सत्यापन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता एवं जिला समन्वयक, प्रशिक्षण का दायित्व होगा कि जनपद स्तर पर अनुश्रवण टीम गठित कर निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रशिक्षण के अनुश्रवण की योजना इस प्रकार बनायी जाये कि समस्त ब्लॉकों का अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत ब्लॉक में प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण का स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी जाए।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की प्रगति का विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्त होने के 03 दिन के उपरान्त उपलब्ध कराया जाये।
7. प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु प्रपत्र संलग्न है।

उपरोक्त व्यय को प्रबंध पोर्टल पर SMC Training मद में व्यय उपरान्त प्रत्येक दशा में अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: 7E–सामु0सह0/एस0एम0सी0प्रशि0/ 13670/2022–23 लखनऊःतद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद उ0प्र0।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
6. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा समस्त जनपद उ0प्र0।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सचिव का प्रशिक्षण

मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम

क्र.स.	समय	अवधि	विषय	संदर्भदाता
1	10:00-10:30	30 मिनट	प्रतिभागियों का पंजीकरण, सन्दर्भ सामग्री का वितरण, परिचय, प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं अपेक्षाएं	खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
2	10:30-11:00	30 मिनट	बाल अधिकार एवं बाल अधिकारों का संरक्षण	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
3	11:00-11:30		निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का संक्षिप्त परिचय	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
4	11:30-11:50	10 मिनट	चाय ब्रेक	
5	11:50-12:20	1 घंटा	विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना, गठन, कार्यकाल एवं समिति के कार्य, बैठकें	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
6	12:20-12:50		विद्यालय प्रबंध समिति के दायित्व	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
7	12:50-01:20		विद्यालय प्रबंध समिति के वित्तीय दायित्व	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
8	01:20-01:50		विद्यालय विकास योजना	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर

				ट्रेनर्स
9	01:50-02:30	30 मिनट	भोजनावकाश	
10	02:30-03:00	30 मिनट	'शारदा' कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन एवं विशेष प्रशिक्षण, दिव्यांग बच्चे (CWSN), एवं यू–डायस की जानकारी	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
11	03:00-03:30	30 मिनट	गुणवत्ता शिक्षा एवं निपुण भारत मिशन	अकादमिक रिर्सोस परसन (ए0आर0पी0)
12	03:30-04:00	30 मिनट	ऑपरेशन कायाकल्प मे एस0एम0सी0 के कार्य एवं दायित्व	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
13	04:00-04:20	20 मिनट	विद्यालय प्रबंध समितिः क्षमता संवर्धन फिल्म, प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका	गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
14	04:20-04:50	30 मिनट	अभिभावक एवं समुदायिक भागीदारी (Parental & Community Engagement)	जिला समन्वयक सामु0सह0 अथवा गत वर्ष के प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स
15	04:50-05:00	10 मिनट	चाय ब्रेक एवं समापन	
16		10 मिनट	प्रशिक्षण का समापन	खण्ड शिक्षा अधिकारी / ए0आर0पी0

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

दूरभाषः 2780995, फैक्सः 0522–2781123, 2780998, ई–मेलः spdup@rediffmail.com, upefaspo@gmail.com, वेब साइटः www.up

पत्रांक–अ0प0नि0 / पी0एफ0एम0एस0 / 1506 /2022–23 लखनऊ दिनांक– 28 मार्च, 2023

भुगतान आदेश

राज्य परियोजना निदेशक महोदय के अनुमोदन / स्वीकृति दिनांक –28.03.2023 के क्रम में PFMS की नवीन प्रक्रिया द्वारा समग्र शिक्षा (प्रा0शि0), उ0प्र0 के अन्तर्गत F.01.10-Training of SMC/SMDC (Elementary) (UP) मद से जनपदों द्वारा धनराशि का भुगतान / व्यय / अन्तरण किये जाने हेतु जनपदीय ZBSA खातों में संलग्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 5,34,64,400.00 (रूपये पॉच करोड़ चौतीस लाख चौंसठ हजार चार सौ मात्र) की सीमा (Limit) निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य परियोजना कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त स्वीकृत धनराशि का निम्न विवरण के अनुसार PFMS की नवीन प्रक्रिया द्वारा जनपदीय ZBSA खातों में सीमा (Limit) निर्धारित किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें–

S. No.	Name	Bank Name & Branch	IFS Code	Account No.	Amount
1	संलग्न विवरण				5,34,64,400.00
TOTAL					**5,34,64,400.00**

रूपये पॉच करोड़ चौतीस लाख चौंसठ हजार चार सौ मात्र

28-03-2023

वित्त नियंत्रक

पृ0सं0 : अ0प0नि0 / पी0एफ0एम0एस0 / 1506 /2022–23 लखनऊ तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
2. पी0एफ0एम0एस0 सेल, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
3. सम्बन्धित–

28-03-2023

वित्त नियंत्रक